केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 23.08.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/255
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00248
CICOM/R/2017/00928

अपीलकर्ता : श्री पुरूषोत्तम दास वर्मा,
पुत्र – श्री जयनारायण,
निवास – एस.सी.-63, शास्त्री नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 23.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	02.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री विजय भल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156921/17.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 23.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम मे फाइल सं. CIC/SH/A/2016/000477 के अनुपालन में केनरा बैंक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाए गए सात पृष्ठों की छाया प्रति की मांग की थी । श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2017 को प्रदान की गई सूचना के साथ उक्त सात पृष्ठों की छाया प्रति उपलब्ध करवा दी गई है । अत: श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि द्वितीय अपील आदेश के अनुपालन में किए गए पत्राचार से सूचना आयुक्त के संतुष्ट या असंतुष्ट होने के कारणों पर टिप्पणी करना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्वों से परे है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Ash 24/08/17

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 AUG 2017
D. No.........
Initials......... Priyanka